

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1752] No. 1752]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25 2010/भाद्र 3, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2010

का.आ. 2069(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 की सं. का.आ. 3098(अ) की सार्वजिनक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।
- 4. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है : संशोधन :

जोन-सी में आजादपुर, नई दिल्ली में आने वाली निम्नलिखित 3.0 हे. भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

अवस्थिति	क्षेत्र	भू उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-सी में आजादपुर	3.0 हे.	'मनोरंजन'	'परिवहन-टी-2' (एमआरटीएस सम्पत्ति विकास/समेकित विकास)	पूर्व - परमेश्वरीवाला बाग (मनोरंजन - जिला पार्क) पश्चिम - आजादपुर चौक उत्तर - जीटी करनाल रोड/माल रोड दक्षिण - जी टी रोड/मनोरंजन - (जिला पार्क)

[सं. के-13011/1/2009-डी डी I बी]

यू. विश्वनाधम, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2010

- S.O. 2069(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 3098(E) dated 4th December, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

The land-use of the following area measuring 3.0 ha at Azadpur, New Delhi in Zone-C is changed as per description listed below :-

listed below:			Land-use Boundaries changed to	
Location	Area	Land-use (MPD-2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Azadpur in Zone-C	3.0 ha	'Recreational'	'Transportation-T2' (MRTS Property Development/Composite Development)	East - Parmeshwari Wala Bagh (Recreational—District Park) West - Azad Pur Chowk North - G.T. Karnal Road/Mall Road South - G.T. Road/Recreational (District Park)
				[No. K-13011/1/2009-DD IB]

[No. K-13011/1/2009-DD IB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.